प्रेस विज्ञप्ति

28.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के एक बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 70 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा(इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग), चेन्नई द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण राशि के 12 करोड़ रुपये के विचलन के मामले में दायर शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता,1860 और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम,1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज एवं अन्य के खिलाफ पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी जांच से पता चला कि मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जाली / गढ़े गए दस्तावेजों को जमा करके नकद ऋण सुविधाओं के रूप में ऋण प्राप्त किया और फिर उक्त ऋण राशि को ऋणदाता बैंक की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपनी सहयोगी संस्थाओं / संबंधित संस्थाओं और साझेदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों में विपथित (डायवर्ट) कर दिया। मैसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज द्वारा ऋण राशि के इस विपथन (डायवर्जन) कार्य के कारण, उक्त ऋण खाता एनपीए हो गये।

ईडी जांच से यह भी पता चला कि जिन जाली / मनगढ़ंत दस्तावेज के बुनियाद पर ऋण स्वीकृत किए गए थे, उन्हें जमा करने के पीछे रणबीर सिंह गांधी, मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज के साझेदार और मेसर्स अमरिक फर्नीचर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की मुख्य भूमिका थी| इसके अलावा, मेसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज ने रणबीर सिंह गांधी द्वारा अपने रिश्तेदारों/कर्मचारियों के नाम पर खोले गए और उनके द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित विभिन्न फर्मों के खाते में ऋण निधियों को डायवर्ट किया। रणबीर सिंह गांधी ने अपनी और अपनी पत्नी के व्यक्तिगत बैंक खातों में ऋण राशि भी डायवर्ट किया था ।

सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)और ईडी द्वारा जांच के बाद, मैसर्स जसलीन एंटरप्राइजेज ने वर्ष 2021 में बैंक से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए संपर्क किया और इसे 2022 में बैंक द्वारा 11.30 करोड़ रुपये में निपटाया गया और बैंक फंड के शेष 70 लाख रुपये की राशि अपराध के आगम है।